




न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची)

आदेश पत्रक

दुबराज तेली वगैरह

बनाम

जन्मैजय तेली वगैरह

क्र०/तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्रवाई
	<p>अभिलेख सं०-एम.....113../2017 धारा-107 द०प्र०सं० थाना प्रभारी खोनाहात के अप्राथमिकी सं०-34/17 दिनांक-23/7/17 प्रस्तुत पुलिस प्रतिवेदन/आवेदन से सूचना मिली है कि <u>ग्राम विवाद के बतवारा को लेकर उभय पक्ष में तनाव है।</u></p> <p>जिससे संभावना है कि परिशांति भंग होगी या लोक परिशांति क्षुब्ध होगी या उभय पक्ष/विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेंगे जिससे परिशांति भंग हो जाएगी या लोक परिशांति क्षुब्ध हो जाएगी।</p> <p>अतः मैं पायल राज, कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची) उक्त पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध द०प्र०सं० की धारा-107 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करती हूँ। उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध सूचना निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए उससे/उनसे प्रत्येक को 1000(एक हजार) रू० का बन्ध पत्र उसी राशि के दो जमानतदारों के साथ राशि दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय।</p> <p>अभिलेख तिथि 21/08/17 को उपस्थापित करें। लेखापित एवं संश्लेषित</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">  कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू। </div> <div style="text-align: center;">  कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू। </div> </div>	
21-08-17	<p><u>अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष उपस्थित। उभय पक्ष तनाव दाखिल की दिनांक 04-09-17 को शुरू।</u></p> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">  21/8/17 </div>	

(6)

09-03-18

प्रीतिका नि पदाधिकारी नगर पंचायत निर्वाचन
प्रशिक्षण में भाग लेने हेतु सैची में दिनांक
16/03/18 को रखा।

16-03-18

प्रीतिका नि पदाधिकारी नगर पंचायत चुनाव कार्य
में व्यक्त। दिनांक 02-4-18 को रखा।

02-04-18

प्रीतिका नि पदाधिकारी नगर पंचायत चुनाव कार्य
में व्यक्त। दिनांक 23-04-18 को रखा।

23-04-18

आमिनीकरण उपस्थापित। प्रथम पल
कमांक 01 उपस्थित अन्य अधिवक्ता दायरी
द्वितीय पल अधिवक्ता दायरी। उक्त वाद
में 6(6) माह की अवधि खर्च हो
चुकी है अर्थात् वाद कालबाधित हो गया
है अतः वाद में आमिनीकरण की कारवाही
बन्द की जाती है।

f
23/4/18